Seventeenth Series, Vol. XXVII No. 2 | Tuesday, September 19, 2023
Bhadra 28, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Thirteenth Session
(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXVII contains Nos.1 to 4)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Kamala Subramanian

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVII, Thirteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 2, Tuesday, September 19, 2023/ Bhadra 28, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
NATIONAL ANTHEM	4
ADDRESS BY THE SPEAKER	4-5
FIRST SITTING OF THE HOUSE IN PARLIAMENT HOUSE OF INDIA (NEW BUILDING OF PARLIAMENT)	6-20
CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY-EIGHTH AMENDMENT) BILL, 2023	21-27
PAPERS LAID ON THE TABLE	28-32
ASSENT TO BILLS	33-34
ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	35

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA

Tuesday, September 19, 2023/ Bhadra 28, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Fifteen Minutes past Thirteen of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

NATIONAL ANTHEM

The National Anthem was played.

13.17 hrs

ADDRESS BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष: आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा में पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन का अवसर मिला है और हमें इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है, मैं सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत- बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं।

माननीय सदस्यगण, आज हम देश के उन संस्थापकों और राष्ट्र निर्माताओं का स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आजादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक की प्रगति को सुनिश्चित करता है।

माननीय सदस्यगण, हमारे श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं और परिपाटियां तथा अनुभव रहे हैं। हम नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे, जो हमारे अच्छे अनुभव रहे हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे हैं, उन अनुभवों का त्याग करेंगे। हम संसद की उच्च मर्यादा और प्रतिष्ठा कायम करें, हम नए भवन में विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को चर्चा-संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति, असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है किंतु उसे हम गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें, हमारा सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने।

हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है कि इस सदन में भी हम उन्हीं परंपराओं का निर्वहन करेंगे, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम ऐसे प्रतिमान स्थापित करें, जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो । आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है, इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें।

माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है कि नए संसद भवन में और इस कक्ष में भी अच्छी परम्पराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों-प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे । हमारी यह भावना, हमारी विरासत, वीरता और आधुनिकता का भव्य समागम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोक सभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्यवाही शुरू करेंगे।

मैं अब माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को सम्बोधित करें।

13.21hrs

FIRST SITTING OF THE HOUSE IN PARLIAMENT HOUSE OF INDIA

(NEW BUILDING OF PARLIMENT)

माननीय प्रधान मंत्री (श्री नरेन्द्र मोदी): आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का यह प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में, नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। यह अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृतकाल का यह ऊषाकाल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान-3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता मे जी-20 का असाधारण आयोजन, विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में यह अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना है। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारम्भ हुआ है।

सुखद संयोग है कि यह गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता हैं। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता हैं। इस पावन दिवस पर हमारा यह शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नये विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नये संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं तब और अब, आज गणेश चुतर्थी का पर्व है तब लोकमान्य तिलक जी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्थापित कर दिया। पूरे राष्ट्र में स्वराज्य की अलख जगाने का माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से स्वराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज इस गणेश चतुर्थी के पर्व पर लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत

स्वराज्य की बात कही थी। आज हम, समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे है। सभी देशवासियों को इस अवसर पर मैं फिर एक बार बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवतसरी का भी पर्व है। यह अपने आप में एक अद्‌भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमावाणी का पर्व कहते हैं। आज मिच्छामि-दुक्कड़म् कहने का दिन है। यह पर्व मन से, कर्म से, वचन से अगर जाने-अनजाने किसी को भी दु:ख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ पूरे हृदय से आप सभी को, सभी संसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि-दुक्कड़म्। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तो अब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है स्पिरिट के साथ । जब हम यहां से, हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए, राष्ट्र के एक-एक नागरिक के लिए तो वह प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। हम सबको इस दायित्व को निभाने के लिए भरसक प्रयास भी करना चाहिए।

आदरणीय अध्यक्ष जी, यह भवन नया है, यहां सब कुछ नया है, सारी व्यवस्थाएं नई हैं, यहां तक कि आपने सभी साथियों को भी एक नये रंगरूप के साथ प्रस्तुत किया है। सब कुछ नया है, लेकिन यहां पर कल और आज को जोड़ती हुई एक बहुत बड़ी विरासत का प्रतीक भी मौजूद है। वो नया नहीं है, वो पुराना है और वो आज़ादी की पहली किरण का स्वयं साक्षी रहा है, जो आज अभी हमारे बीच उपस्थित है। वह हमारे समृद्ध इतिहास को जोड़ता है।

और जब आज हम नए सदन में प्रवेश कर रहे हैं, संसदीय लोकतंत्र का जब यह नया गृह प्रवेश हो रहा है, तो यहां पर आज़ादी की पहली किरण का साक्षी, जो आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा देने वाला है, वैसा पवित्र सेंगोल और ये वो सेंगोल है, जिसको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी का स्पर्श हुआ था। पंडित नेहरू के हाथों में पूजा विधि करके आज़ादी के पर्व का प्रारंभ हुआ था और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण अतीत के साथ यह सेंगोल हमें जोड़ता है। तमिलनाडु की महान परंपरा का वह प्रतीक तो है ही, देश को जोड़ने का भी, देश की एकता का भी वह प्रतीक है। हम सभी

माननीय सांसदों को, हमेशा जो पवित्र सेंगोल पंडित नेहरू के हाथ में शोभा देता था, वह आज हम सबकी प्रेरणा का कारण बन रहा है। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है?

आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन की भव्यता आधुनिक भारत की महिमा को भी मंडित करती है। हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर्स, हमारे कामगारों का पसीना इसमें लगा है। कोरोना काल में भी उन्होंने जिस लगन से इस काम को किया है, क्योंकि जब कार्य चल रहा था, तब मुझे उन श्रमिकों के बीच आने का बार-बार मौका मिलता था। खासकर मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर उनसे मिलने आता था, लेकिन ऐसे समय भी उन्होंने इस बहुत बड़े सपने को पूरा किया। आज मैं चाहूंगा कि हम सब हमारे उन श्रमिकों का, हमारे उन कामगारों का, हमारे इंजीनियर्स का हृदय से धन्यवाद करें, क्योंकि उनके द्वारा यह निर्मित भवन भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाला है। 30,000 से ज्यादा श्रमिक बंधुओं ने परिश्रम किया है, पसीना बहाया है, इस भव्य व्यवस्था को खड़ी करने के लिए और कई पीढ़ियों के लिए यह बहुत बड़ा योगदान दिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन श्रम योगियों को नमन तो करता ही हूं, लेकिन एक नई परंपरा का प्रारंभ हो रहा है, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। इस सदन में एक डिजिटल बुक रखी गई है। उस डिजिटल बुक में उन सभी श्रमिकों का पूरा परिचय रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा कि हिन्दुस्तान के किस कोने से कौन श्रमिक ने आकर इस भव्य इमारत को यानी उनके पसीने को भी अमरत्व देने का प्रयास इस सदन में हो रहा है। यह एक नई शुरुआत है, शुभ शुरुआत है और हम सबके लिए गर्व की शुरुआत है।

मैं इस अवसर पर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से, मैं इस अवसर पर लोकतंत्र की महान परंपरा की तरफ से, हमारे इन श्रमिकों का अभिनंदन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां कहा जाता है कि "यत् भावो – तत् भवति", इसलिए हमारा भाव जैसा होता है, वैसे ही कुछ घटित होता है। "यत् भावो – तत् भवति। इसलिए हम जैसी भावना करते हैं और हमने जैसी भावना करके प्रवेश किया है, मुझे विश्वास है कि जो भावना भीतर होगी, हम भी वैसे ही खुद बनते जाएंगे। वह बहुत बड़ी स्वाभाविक बात है। भवन बदला है, मैं चाहूंगा कि भाव भी

बदलना चाहिए, भावना भी बदलनी चाहिए । संसद राष्ट्र सेवा का सर्वोच्च स्थान है । यह संसद दलहित के लिए नहीं है । हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी पवित्र संस्था का निर्माण दलहित के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ देशहित के लिए किया है । नए भवन में हम सभी अपनी वाणी से, विचार से, आचार से, संविधान की जो स्पिरिट है, उन मानदण्डों को लेकर, नए संकल्पों के अनुसार, नए भाव को लेकर, नई भावना को लेकर और मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष जी हम सांसदों के व्यवहार के संबंध में आप कल भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे, कभी स्पष्ट कह रहे थे, कभी थोड़ा लपेटकर भी कह रहे थे । मैं अपनी तरफ से आपको आश्वासन देता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा और सदन के नेता के नाते मैं चाहूंगा कि हम सभी सांसद आपकी आशा और अपेक्षा पर खरे उतरें । हम अनुशासन का पालन करें । देश हमें देखता है । आप जैसा दिशा-निर्देश करें, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, अभी चुनाव तो दूर है और इस पार्लियामेंट का जितना समय हमारे पास बचा है, मैं पक्का मानता हूं कि यहां जो व्यवहार होगा, वह निर्धारित करेगा कि कौन यहां बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहां बैठने के लिए व्यवहार करता है । जो वहां ही बैठे रहना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा और जो यहां आकर भविष्य में बैठना चाहता है, उसका व्यवहार क्या होगा । इसका फर्क बिल्कुल आने वाले महीनों में देश देखेगा और उनके बर्ताव से पता चलेगा, यह मुझे पूरा विश्वास है । आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां वेदों में कहा गया है कि 'सम्यञ्च: सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया', अर्थात् हम सब एकमत होकर, एक समान संकल्प लेकर कल्याणकारी सार्थक संवाद करें । यहां हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विमर्श अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे संकल्प एकजुट ही होते हैं, एकजुट ही रहते हैं । इसलिए हमें उसकी एकजुटता के लिए भी भरपूर प्रयास करते रहना चाहिए । आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी संसद ने राष्ट्रहित के तमाम बड़े अवसरों पर ही इसी भावना से काम किया है । न कोई इधर का है, न उधर का है, सब कोई राष्ट्र के लिए करते रहे हैं । मुझे आशा है कि इस नई शुरुआत के साथ, इस संवाद के वातावरण में और इस संसद की पूरी डिबेट में हम उस भावना को जितनी ज्यादा मजबूत करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम अवश्य प्रेरणा देंगे ।

संसदीय परम्पराओं की जो लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा का पालन हम सबको करना चाहिए और स्पीकर महोदय की अपेक्षा को हमें जरूर पूरा करने की कोशिश करनी चहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में राजनीति, नीति और शक्ति का इस्तेमाल इस समाज में प्रभावी बदलाव का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है, और इसलिए स्पेस हो या स्पोर्ट्स हो, स्टार्टअप हो या सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, हर क्षेत्र में दुनिया भारतीय महिलाओं की ताकत देख रही है। जी-20 की अध्यक्षता और विमिन लेड डेवलपमेंट की चर्चा का आज दुनिया स्वागत कर रही है, स्वीकार कर रही है। दुनिया समझ रही है कि सिर्फ महिलाओं के विकास की बात इनफ नहीं है। हमें मानव जाति की विकास यात्रा में नये पड़ावों को अगर प्राप्त करना है, राष्ट्र की विकास यात्रा में हमें नई मंजिलों को पाना है तो यह आवश्यक है कि विमिन लेड डेवलपमेंट को हम बल दें और जी-20 में भारत की बात को विश्व ने स्वीकार किया है। महिला सशक्तिकरण की हमारी हर योजना ने महिला नेतृत्व करने की दिशा में बहुत सार्थक कदम उठाए हैं। आर्थिक समावेश को ध्यान में रखते हुए जन-धन योजना शुरू की, 50 करोड़ लाभार्थियों में से भी अधिकतम महिला बैंक अकाउंट की धारक बनी हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन भी है और नया विश्वास भी देता है। जब मुद्रा योजना रखी गयी तो यह देश गर्व कर सकता है कि उसमें बिना बैंक गारंटी के दस लाख रुपये लोन देने की योजना और उसका लाभ पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं ने उठाया। महिला एंटरप्रेन्योर का एक पूरा वातावरण देश में नजर आया। पीएम आवास योजना, पक्के घर और उसकी रजिस्ट्री ज्यादातर महिलाओं के नाम हुई और महिलाओं का मालिकाना हक बना।

आदरणीय अध्यक्ष जी, हर देश की विकास यात्रा में ऐसे माइलस्टोन्स आते हैं, जब वो गर्व से कहता है कि आज के दिन हम सब ने नया इतिहास रचा है। ऐसे कुछ पल जीवन में प्राप्त होते हैं।

आदरणीय अध्यक्ष जी, नये सदन के प्रथम सत्र के प्रथम भाषण में मैं बड़े विश्वास और गर्व से कह रहा हूं कि आज का यह पल, आज का यह दिवस संवत्सरी हो, गणेश चतुर्थी हो तो उससे भी आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इतिहास में नाम दर्ज करने वाला यह समय है। हम सबके लिए यह पल गर्व का पल है। अनेक वर्षों से महिला आरक्षण के संबंध में बहुत चर्चाएं हुई हैं, बहुत वाद-विवाद हुए हैं।

महिला आरक्षण को लेकर संसद में पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं। वर्ष 1996 में इससे जुड़ा बिल पहली बार पेश हुआ था। अटल जी के कार्यकाल में कई बार महिला आरक्षण का बिल पेश किया गया, लेकिन उसे पास कराने के लिए आँकड़े नहीं जुटा पाए और उसके कारण वह सपना अधूरा रह गया। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का काम - शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र कामों के लिए मुझे चुना है। एक बार फिर हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है, उसको मंजूरी दी गई है। इसलिए आज 19 सितम्बर की यह तारीख इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रही है। आज महिलाएं हर सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण में, पॉलिसी मेकिंग में हमारी माताएं, बहनें तथा हमारी नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें और ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। योगदान ही नहीं, बल्कि वे महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएं।

आज इस ऐतिहासिक मौके पर नए संसद भवन में सदन की पहली कार्यवाही के रूप में, इस कार्यवाही के अवसर पर देश ने इस नए बदलाव का आह्वान किया है और देश की नारी शक्ति के लिए सभी सांसद मिलकर नए प्रवेश द्वार खोल दें, इसका आरंभ हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से करने जा रहे हैं। विमन लेड डेवलपमेंट के अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार आज एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक का लक्ष्य लोक सभा और विधान सभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करने का है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों तथा बेटियों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मैं सभी माताओं, बहनों बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं, आग्रह भी करता हूं और जब एक पावन शुरुआत हो रही है, पावक विचार हमारे सामने आया है तो सर्वसम्मति से जब यह बिल कानून बनेगा तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी और इसलिए मैं सभी माननीय सांसदों से, दोनों सदनों के सभी माननीय सांसदों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने के लिए प्रार्थना करते हुए

आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इस नए सदन के प्रथम सत्र में आपने मुझे मेरी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर, सर्वप्रथम हमारे लोक सभा के माननीय स्पीकर, हमारे अभिभावक, आपके प्रति सबकी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने इस नए सदन में आज नई शुरुआत करने की पहल की है। इसके साथ-साथ मैं अपने देश के हर नागरिक को गणेश चतुर्थी की बधाई देना चाहता हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष हम सभी मिल कर देश को आगे ले जाएंगे, देश की ताकत को और मजबूत करेंगे और बढ़ाएंगे, क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं :

मंजिल को पार कर, नए मंजिल की तलाश कर।
तुझे अगर दरिया मिल जाए, तो समंदर की तलाश कर।

यह हिन्दुस्तान एक दिन में नहीं बना है। हजारों-लाखों शहादतों के चलते, खून-पसीना बहाने के कारण हमारा देश आजाद हुआ था। इसलिए सारे सदन की तरफ से उन सारे हमारे देश की आजादी दिलाने में, जिन्होंने अपना खून-पसीना बहाया, मेहनत की, दिन-रात एक करते हुए देश को ब्रिटिश हुकूमत से निकाल कर आजादी के रास्ते पर ले गए थे, इस नए सदन से उन सभी को नमन करता हूं। यह आप लोगों की ही विरासत है, जिस विरासत के चलते पुराना संसद भी हमें देखने को मिला और उसी विरासत को आगे ले चलते हुए, नए संसद में हम सभी मिल कर काम करेंगे, प्रयास करेंगे। हमने इसी मंशा के साथ इस संसद में पैर रखे हैं। पहली बार इसके अंदर आते समय मुझसे किसी ने पूछा था कि चलो, एक बार नए सदन को देख लें। मैंने कहा कि नहीं, अगर वहां जाना है तो सीधा सदन के अंदर ही जाएंगे और उसके बाद धीरे-धीरे सदन के हर कोने से परिचित होंगे।

सर, नए संसद भवन की कल्पना नई नहीं है। हमारी पूर्व लोक सभा की सांसद श्रीमती मीरा कुमार जी ने पहले यह मुद्दा उठाया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हमारे सदस्य चुपचाप रोते हैं, silently weeping. हमारी एक और महिला, लोक सभा की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी भी यह गुहार लगाती थीं कि हमें एक नए संसद भवन की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी खामियां धीरे-धीरे निकल कर आती हैं। यह अच्छा हुआ कि देर-सवेर नया संसद भवन हमें मिला है। यह सरकार जो आज

सत्ता में है, इसी सरकार की पहल के चलते नया सदन बना है । यह सब का है, यह किसी पार्टी का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि यह सबका है । हमारे पूर्व प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी कहते थे कि देश में कल्टीज़्म नहीं होना चाहिए, कोई व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए । यह देश सब का है, यह देश सिर्फ एमपीज़ का नहीं है । यह पार्लियामेंट सिर्फ एमपीज़ की नहीं है, हिन्दुस्तान के हर नागरिक का इसमें हिस्सा है तो यह हमारे देश की संपदा मानी जाती है । अटल जी भी कहते थे कि होने या न होने का यह क्रम इसी तरह चलता रहेगा । हम रहेंगे, यह भ्रम सदा पालते रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से कोई यहां हो या न हो, हमारा यह ट्रेडिशन, यह विरासत चलती रहेगी । जितने दिन यह हिन्दुस्तान है, उतने दिन हमारी यह विरासत, आज हम तो कल दूसरे इसे लेकर आगे निकलेंगे ।

सर, मैं सर्वप्रथम हमारे प्रधान मंत्री जी और आप सबके सामने एक बात कहना चाहता हूं कि आप लोग जो भी करें, यह मान कर चलिये कि हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है । मान लीजिए, हमारे लिए संविधान गीता, कुरान और बाइबिल से कम नहीं है । इस संविधान में लिखा हुआ है– सत्यमेव जयते – Truth always prevails. हम भी चाहते हैं कि सत्य के मार्ग पर हम आगे निकलें और हम अपने देश को सारी दुनिया में रोशन करें ।

सर, संविधान के पहले पन्ने में यह लिखा गया, जिसको हम प्रिएम्बल कहते हैं । प्रिएम्बल में यह लिखा गया है– “We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens: justice, social, economic and political; liberty of thought, expression, belief, faith and worship; … (*Interruptions*) सर, मैं बस अपनी बात खत्म कर रहा हूं ।… (व्यवधान) प्रधान मंत्री जी तो काफी बोले हैं ।… (व्यवधान) सर, मुझे भी बोलने दीजिए ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको इजाज़त यहां से मिलेगी ।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, मैं संविधान पढ़ रहा हूं ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हाँ, आप संविधान पढ़िये ।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: "…equality of status and of opportunity; and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation; in our Constituent Assembly this twenty-sixth day of November, 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution."

<u>14.00 hrs</u>

सर, मैंने इसलिए यह पढ़ा क्योंकि इसमें लिखा है, 'We, the People of India'. इसमें यह नहीं लिखा गया है कि ये हिन्दू, ये मुसलमान, ये क्रिश्चन, ये जैन की तरह अलग-अलग यह प्रस्ताव पारित करते हैं। समग्र रूप से मिलकर, 'We, the People of India', इसका मतलब है, सारे देश की, सारे भारत की, सारे इंडिया की, सारे हिन्दुस्तान के लोगों ने मिलकर यह शपथ ली थी।

सर, इसमें 395 आर्टिकल्स शामिल किये गये थे। उसमें जो पहला आर्टिकल है, उसमें यह लिखा जाता है कि India, that is Bharat, shall be a Union of States. मतलब 'भारत' और 'इंडिया' के बीच कोई अंतर नहीं है। जो 'भारत' होता है, वही 'इंडिया' है, जो 'इंडिया' होता है, वही 'भारत' है। किसी बहाने से ज़बरदस्ती, इसके अन्दर दरार पैदा करने की कोई कोशिश न करे, तो बेहतर होगा। कुछ-कुछ जगहों पर यह आशंका फैलाई जाती है कि हमारे देश में, हम हिन्दुत्व की बात तो सुनते ही हैं, लेकिन इसके साथ-साथ हिन्दुत्व की बात भी आ जाएगी क्या? आम लोगों में यह चर्चा है।

मैं सबके संज्ञान में यह लाना चाहता हूँ कि यह मुद्दा हमारे देश के लिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हमारे संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं, सभी हमारे देश की लैंग्वेजेज हैं, इसलिए इसमें दरार पैदा करने की कोई कोशिश न हो, तो बेहतर होगा। यह मैं जरूर आपसे माँग करता हूँ।

सर, मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जी-20 की बात कही। उन्होंने शुरुआत तो की थी राष्ट्रपति महोदय के भाषण के साथ, फिर पार्लियामेंट में नो-कांफिडेंस की बात

की, उसके बाद जी-20 की बात को तो हम लोग हर दिन देखते ही हैं। हमने लोक सभा में भी देखा और आज सेन्ट्रल हॉल में भी देखा, हम यहाँ भी देखते हैं। प्रधानमंत्री जी का हर भाषण सुनते-सुनते, मान लीजिए वह हमारे जेहन में सिमट गये हैं।

मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ। सर, देखिए! सदन की गरिमा की बात की जाती है, लेकिन सरकार ने कम-से-कम यह कभी सोचा है कि हमारे सदन में स्पीकर हैं, लेकिन डेप्युटी स्पीकर नहीं हैं। ऐसा क्यों? आज़ादी के बाद पहली बार, संविधान की रचना होने के बाद पहली बार इस सदन में स्पीकर साहब हैं, लेकिन डेप्युटी स्पीकर नहीं हैं। ऐसा क्यों?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, अगर आप बोलने का समय देंगे, तो मैं बोलूँगा।

माननीय अध्यक्ष : अब समय राज्य सभा के शुरू होने का है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, यही तो हमारी माँग है। यह उधर भी था, इधर भी है। इसलिए हमें वहाँ तक अपनी बात पहुँचानी होती है, इसलिए हम कभी-कभी थोड़ा जोर से बोलते हैं। आपने स्थान बहुत ऊँचा कर दिया है।

सर, अभी-अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो आरक्षण की बात कही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि महिला आरक्षण वर्ष 1989 में, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, तब स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण उन्होंने सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात, कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, इसका कानून बने।… (व्यवधान) लोक सभा एवं विधान सभाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण देने के लिए राजीव जी की सरकार ने… (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा।… (व्यवधान) कौन कैसा व्यवहार कर रहा है, प्रधान मंत्री जी आप खुद देख लीजिए।… (व्यवधान) आप लोग प्रधानमंत्री जी का अपमान कर रहे हैं।… (व्यवधान) प्रधानमंत्री जी ने खुद आप लोगों को सिखाया था कि सदन में कैसा व्यवहार करते हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार और डॉ. मनमोहन जी की सरकार ने, अलग-अलग सरकारों ने, अलग-अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसे पास कराने का प्रयास किया। यह कभी राज्य सभा में पास होता था, लेकिन लोक सभा में पास नहीं होता था। कभी लोक सभा में पास होता था, तो राज्य सभा में गिर जाता था। डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त, जो यह बिल आया, वह आज तक जीवित है। वह आज तक जीवित है, जो राज्य सभा में पास हुआ है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप कनक्लूड करें।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : हमारे सीडब्ल्यूसी की बैठक में, कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, वह तब पारित हुआ, … (व्यवधान) इसलिए यह माँग की गई है।… (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): माननीय अध्यक्ष जी, यह फैक्चुअली गलत है।… (व्यवधान) यह वास्तविकता नहीं है।… (व्यवधान) रेकॉर्ड देख लिया जाए लोक सभा का।… (व्यवधान) यह फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : यह जो विशेष सत्र है, इसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, उसे पारित किया जाए।… (व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण है।… (व्यवधान) यह ऐतिहासिक है।… (व्यवधान) आपको ज्ञात है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था। उन्होंने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा था।… (व्यवधान) हम फिर से उस मांग को स्पष्टता के साथ दोहराते हैं।… (व्यवधान) सर, बातें तो बहुत कुछ हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर जी, आप बाद में बोलिएगा। आप महिला आरक्षण बिल के समय बोलिएगा। आज सिर्फ सदन में स्वागत के बारे में बोलिए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, प्रधान मंत्री जी सेंगोल दिखा रहे थे ।... (व्यवधान) ये सेंगोल के इतिहास के बारे में बता रहे थे। मैं इनको सेंगोल के इतिहास के बारे में बता देता हूं ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सदन के भवन के बारे में चर्चा मत कीजिए।

... (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: When India attained Independence from the British, the then Governor General Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. "What is the ceremony that should be followed to symbolise the transfer of power from British to Indian hands?" ... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) : सर, माननीय गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। कृपया उन्हें अलाऊ कर दिया जाए ।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधीर रंजन जी ने दो चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही हैं ।... (व्यवधान) या तो वे उन्हें विदड्रॉ करें या आपको सदन की टेबल पर उनको रखवाना चाहिए ।... (व्यवधान) पहला, महिला आरक्षण बिल लोक सभा में पास हुआ था? कभी पास नहीं हुआ था ।... (व्यवधान) दूसरा, कि यह बिल पुराना है, लोक सभा में लंबित है ।... (व्यवधान) वर्ष 2014 में ही, लोक सभा के विघट्न के साथ ही, यह बिल निरस्त कर दिया गया था ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों स्टेटमेंट्स फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं ।... (व्यवधान) इनकी स्पष्टता के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इनकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए ।... (व्यवधान) या तो इसे रिकॉर्ड से दूर किया जाए, या तो ये उसके संबंध में स्टेटमेंट टेबल पर रखें ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें।

… (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर) : सर, पहला दिन है, कृपया इन्हें बोलने दिया जाए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप प्लीज़ कनक्लूड कीजिए। आज पहला दिन है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सब लोग अपनी-अपनी सीट्स पर बैठें।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप धन्यवाद दे दीजिए।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: The then Governor General Lord Mountbatten posed a question to the to-be Prime Minister Jawaharlal Nehru. “What is the ceremony that should be followed to symbolise the transfer of power from British to Indian hands?”

Nehru then consulted C. Rajagopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the last Governor General of India. Rajaji identified the Chola model where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by a high ruler. The symbol used was the handover of ‘Sengol’ or sceptre from one king to his successor.

A golden sceptre was crafted by Vummidi Bangaru Chetty, a famous jeweller in the Madras Presidency. The makers of the Sengol, Vummidi Ethirajulu and Vummidi Sudhakar are living in Chennai. सर, मैं इतिहास के बारे में बता रहा हूं। On August 14, 1947, the deputy priest of Thiruvavaduthurai Adheenam, Nagaswaram

player Rajarathinam Pillai and an Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to the Capital from the then Madras Presidency.

The ceremony was conducted as per Tamil traditions and the Sengol was handed over to Nehru at his house. इसमें कोई नई बात नहीं है । इसे लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यह हमारे देश में कोई नई आजादी हुई है, कुछ नया हो रहा है।

सर, मेरी बहुत सारी सलाह है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। आप यह मत समझिए कि यह सिर्फ ईंट, गार्टर और पत्थर का सदन है । This building is not built with bricks and mortar only. It is the soul of our India, the soul which was long suppressed, finds utterance in the wake of attaining Independence.

Again, I am saying their soul should not be suppressed again by any design. That is my view.

I am concluding my speech because I do not find adequate time to make my point further.

श्री अमित शाह: अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।… (व्यवधान) माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा, वह फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है ।… (व्यवधान) मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है ।… (व्यवधान) अधीर रंजन जी ने जो कहा है, उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो उन्हें टेबल पर रखना चाहिए। यह एक बात है या फिर उन्हें अपना स्टेटमेंट विदड्रा करना चाहिए।

दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोक सभा ने भी कभी पारित किया था, राजीव गाँधी जी के समय में, कभी नहीं हुआ है।… (व्यवधान) इन दोनों चीजों को… (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): हम भी मेंबर थे, उस टाइम में हुआ था।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठिए ना।… (व्यवधान) मैं आगे कहता हूँ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप बैठ जाइए ।… (व्यवधान) मुझे अपनी बात पूरी तो करने दीजिए ।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल्याण जी, कृपया बैठ जाइए ।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, लोक सभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्य सभा उसे पारित नहीं करती है और लोक सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वह बिल अपने आप लैप्स हो जाता है । मैं मानता हूँ कि उन्हें इस चीज की स्पष्टता करनी चाहिए ।… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : वह बात बिल्कुल ठीक है ।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो वह उन्हें सदन के टेबल पर रखनी चाहिए ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी ।

<u>14.13 hrs</u>

CONSTITUTION (ONE HUNDRED AND TWENTY EIGHTH AMENDMENT) BILL, 2023*

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।...(व्यवधान)

महोदय, मैं बोलना भी चाहता हूँ ।...(व्यवधान) आप सप्लीमेंटरी बिजनेस में देखिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल को अपलोड कर दिया गया है। संसद की नई टेक्नोलॉजी है। आप इसमें देख लीजिए, बिल को अपलोड कर दिया है।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बिल अपलोडेड है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : संसद में नई टेक्नोलॉजी है, आप इसको चलाइए। इसमें बिल अपलोड कर दिया गया है।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : बिल अपलोडेड भी है।...(व्यवधान)

महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: सर, आपकी अनुमति से सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस निकाला गया है और सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में यह बिल आया है।...(व्यवधान) वह अपलोड हुआ है, कृपया एक्सेप्ट करने के लिए कहिए। मेरा इतना ही निवेदन है।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ।...(व्यवधान)

---

* Published in the Gazette of India Extraordinary, part-II, Section 2, dated 19.09.2023.

महोदय, इस महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ।…(व्यवधान) यह अपलोडेड है।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बिल इसमें अपलोडेड है।

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Shri Gaurav Gogoi, you can see the Bill. It is uploaded.… (*Interruptions*) अधीर जी, बिल अपलोडेड है।…(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : महोदय, मैं संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन), विधेयक 2023 के संबंध में कुछ तथ्य सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ।…(व्यवधान) यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित बिल है।…(व्यवधान) इस बिल के माध्यम से हम आर्टिकल 239एए, 330ए, 332ए और 334ए, इतने संशोधन संविधान में कर रहे हैं।…(व्यवधान)

महोदय, 239एए के माध्यम से 33 परसेंट सीटें नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी।…(व्यवधान) आर्टिकल 330ए के माध्यम से रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससी, एसटी इन हाउस ऑफ पीपल, इसमें 33 परसेंट रिजर्वेशन होगा।…(व्यवधान) आर्टिकल 332ए…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें अपलोडेड है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन से में है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : इसमें है।

… (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, I would like to give a clarification to them. It is already uploaded in the Supplementary List of Business. … (*Interruptions*) We are able to see it… (*Interruptions*) Why are they not able to see it?… (*Interruptions*) Are they opposing the Mahila Reservation Bill?… (*Interruptions*) Let them clarify that.… (*Interruptions*) Sir, it is there… (*Interruptions*) Let them understand… (*Interruptions*) It is already there… (*Interruptions*) यह ऑलरेडी लिस्ट

ऑफ बिजनेस में है। आप इसे टैब में देख सकते हैं।... (व्यवधान) It is there... (*Interruptions*) You please try to understand the technology... (*Interruptions*) हम आज भारत में डिजिटल... (व्यवधान) गौरव जी, आप चैक कर लीजिए।

महिला और बाल विकास मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): आपके डिजिटल कंसोल में है, आप चैक कीजिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर भी दिखेगा। आप चैक कर लो।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : आप रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखिए।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अर्जुन मेघवाल जी, आप कंटीन्यू कीजिए।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है।... (व्यवधान) अधीर रंजन जी, आप दो मिनट सुनिए।... (व्यवधान) मैं वही बोल रहा हूं।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, दि कांस्टीट्यूशनल 128th अमेंडमेंड बिल, 2023, यह बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंड है। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। आर्टिकल 239aa हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33 परसेंट महिलाओं को दि नेशनल केपिटल टेरेटरी ऑफ दिल्ली में रिजर्वेशन मिलेगा।... (व्यवधान) उसके बाद हम आर्टिकल 330a में अमेंडमेंड कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों में रिजर्वेशन का पहले से प्रावधान है, उसमें ही हम 33 परसेंट महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं।... (व्यवधान) एक आर्टिकल 332 है, जो असेम्बलीज में रिजर्वेशन के बारे में है, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेम्बली में 33 परसेंट महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं।... (व्यवधान) यह बहुत इम्पोर्टेंड बिल है और आर्टिकल 334a में एक नया क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी, वह

15 साल के लिए होगी। उसके बाद रिजर्वेशन यदि बढ़ाना होगा, तो संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा।... (व्यवधान) अधीर रंजन जी, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अभी जैसे 543 लोक सभा के सदस्यों की संख्या है।... (व्यवधान) आप सप्लीमेंटरी लिस्ट ऑफ बिजनेस में देख सकते हैं।... (व्यवधान) बालू जी, आप देख सकते हैं।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आज केवल बिल इंट्रोड्यूज हो रहा है। कल बिल पर चर्चा होगी, तब आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा।

... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अधीर रंजन जी, मैं बताना चाहता हूं कि इस बिल से क्या परिवर्तन होने वाला है। अभी लोक सभा की सीटों की संख्या 543 है। जैसे ही यह बिल पास होगा और कानून बनेगा तो अभी वर्तमान में जो महिलाओं की संख्या 82 है, वह 181 हो जाएगी। आप देखिए कि यह कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं। क्या आप इसके समर्थन में नहीं हैं? ... (व्यवधान) कल्याण बनर्जी जी, आप इतिहास भी सुनिए।... (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर): आप यह बिल लोक सभा के लिए क्यों लाए हैं, राज्य सभा के लिए क्यों नहीं लाए? ... (व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: हम राज्य सभा में भी करेंगे। आप सुनिए। यह बिल सबसे पहले सितम्बर, 1996 में देवेगौड़ा जी के समय आया, वह भी 11वीं लोक सभा में। उसके बाद दिसम्बर, 1998 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय 12वीं लोक सभा में आया।... (व्यवधान) उसके बाद 13वीं लोक सभा में दिसम्बर, 1999 में फिर अटल जी की सरकार के समय आया। ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, डॉ. मनमोहन सिंह के समय जो बिल आया, वह लोक सभा में नहीं आया, वह मई, 2008 में राज्य सभा में आया। यहीं से षड्यंत्र की बू आती है।... (व्यवधान)

राज्य सभा में आने के बाद यह विभागों से संबंधित स्थायी समिति में गया।... (व्यवधान) वहां से जब इस बिल पर रिपोर्ट आई तो 9 मार्च, 2010 में राज्य सभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्य सभा ने इसे लोक सभा के सेक्रेटरी जनरल को कम्युनिकेट किया। फिर यह लोक सभा की

प्रॉपर्टी बन गया। पन्द्रहवीं लोक सभा जैसे ही 18 मई, 2014 को भंग हुई, यह बिल भी लैप्स हो गया।… (व्यवधान) इन लोगों ने जान-बूझकर पारित नहीं किया।… (व्यवधान)

महोदय, मैं अधीर रंजन जी के लिए कांस्टीट्यूशन के प्रोविजन्स को पढ़ कर बताता हूं।… (व्यवधान) अधीर रंजन जी, आर्टिकल-107 को देखिए।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नयी संसद के पटल पर उस नारी शक्ति वंदन विधेयक, 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है।… (व्यवधान) आज यह सदन नारी शक्ति को लोक सभा और राज्य सभा में 33 प्रतिशत भागीदारी देने का साक्षी बनेगा।… (व्यवधान) भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूपा मानने की रही है और माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश आज वूमेन डेवलपमेंट से वूमेन-लेड डेवलपमेंट की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है।… (व्यवधान) आज हर क्षेत्र में, चाहे वह अंतरिक्ष हो, सेना हो, पुलिस हो, खेल जगत हो, उद्यमिता हो, व्यवसाय हो, साहित्य हो, कला हो, महिलाएं प्रभावशाली नेतृत्व करके देश को गौरवान्वित कर रही हैं।… (व्यवधान) आज हम प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति वंदन विधेयक को प्रस्तुत कर सच्चे अर्थों में नारी शक्ति को उनका अधिकार देने जा रहे हैं।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, हमारी संस्कृति में नारी को सदैव से शक्ति स्वरूपा माना गया है।… (व्यवधान) हमारे श्लोकों में भी कहा गया है –

या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:॥

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर का एक क्वोट आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, क्वोट-अनक्वोट, बाबा साहेब से किसी ने पूछा कि आप किसी समाज के उत्थान या प्रगति को कैसे मापते हैं? What is the parameter कि यह समाज, यह देश, यह राष्ट्र उन्नति कर रहा है? बाबा साहेब ने एक क्वोट कहा था, उसे मैं क्वोट-अनक्वोट कह रहा हूं। उन्होंने कहा - “I measure the progress of a community by the

degree of progress which women have achieved.” महिलाएं अगर किसी देश में प्रगति कर रही हैं तो मैं समझता हूं कि वह समाज, वह राष्ट्र प्रगति कर रहा है। यह बाबा साहेब ने कहा था।… (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारत के संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर जी को इसलिए भी याद करना चाहता हूं कि 25 नवम्बर, 1949 में उसी सेन्ट्रल हॉल में, जिसमें आज लास्ट फंक्शन हुआ, वहां बाबा साहेब ने कहा था कि हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता नहीं होगी। इसको कौन दूर करेगा? … (व्यवधान) आने वाली सरकारों का यह काम होगा।… (व्यवधान) जो सरकारें आईं, वे इसे नहीं कर पाईं। लेकिन, जब वर्ष 2014 में प्रधान मंत्री मोदी जी आए तो जन धन अकाउंट आया। एक महिला के पास अकाउंट, एक के पास नहीं, यह असमानता थी। पी.एम. आवास आया। एक का घर कच्चा और एक का घर पक्का, यह असमानता थी।… (व्यवधान) एक के घर शौचालय, एक के घर शौचालय नहीं, यह असमानता थी।… (व्यवधान) एक के घर बिजली, एक के घर बिजली नहीं; एक के घर गैस, एक के घर गैस नहीं; एक के घर नल से जल, एक के घर नल से जल नहीं; मुद्रा योजना में, जैसा प्रधान मंत्री जी ने जिक्र किया, स्टैण्ड-अप इंडिया में भी एक लाख रुपये से दस करोड़ रुपये तक का लोन दिया गया। यह असमानता दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, इसलिए यह महिलाओं का सशक्तिकरण भी करेगा, महिलाओं का उत्थान भी करेगा और यह दिशा भी देगा। इसलिए, मैं आपसे इसकी अनुमति चाहता हूं।… (व्यवधान)

महोदय, यह नारी शक्ति वंदन विधेयक भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करने वाला होगा। वर्ष 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। महिला सशक्तिकरण में वूमेन-लेड डेवलपमेंट को नयी दिशा देने वाला होगा, नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक महिला नेतृत्व को पहचान दिलाने वाला होगा, सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रेरणा देने

वाला सिद्ध होगा, इसलिए मैं आपसे यह चाहता हूं कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> "कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Hon. Speaker Sir, I introduce the Bill. … (*Interruptions*)

14.25 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष :अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नम्बर 1, श्री किरेन रिजीजू जी।

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्निलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 57 के अंतर्गत भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरणीय संरक्षण नियम, 2023 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10058/17/23]

(2) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3508(अ) जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्यों और विशेषज्ञता प्राप्त सदस्यों से मिलकर बनी अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरणीय संरक्षण समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10059/17/23]

(3) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3509(अ) जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2023 के सातवें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10060/17/23]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 586(अ) जो 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया और रिया गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) अधिरोपित करना है।

(दो) सा.का.नि. 634(अ) जो 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया से "फिशिंग नेट" के आयात पर 28 अगस्त, 2028 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहित करना है।

(तीन) सा.का.नि. 661(अ) जो 11 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. 46/2018- सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित किया गया था, का विस्तार करना है।

[Placed in Library, See No. LT10061/17/23]

(2) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 616(अ) जो 19 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 50 प्रतिशत की टैरिफ दर के साथ प्याज (एचएस कोड

0703 10) को शामिल करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 628(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 प्रतिशत की टैरिफ दर के साथ चावल, आंशिक रूप से उबले हुए (एचएस कोड 1006 30 10) को शामिल करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT10062/17/23]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 617(अ) जो 19 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्याज (एचएस कोड 0703 10) के निर्यात पर 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2023 तक लागू रहेगी।

(दो) सा.का.नि. 629(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 643(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 653(अ) जो 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 656(अ) जो 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT10063/17/23]

(4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम,1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 600(अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 601 (अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 646(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 647(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT10064/17/23]

(5) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 69 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571(अ) जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 19 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT10065/17/23]

14.27 hrs

ASSENT TO BILLS

SECRETARY GENERAL: Hon. Speaker Sir, I lay on the Table the following six Bills passed by the Houses of Parliament during the Twelfth Session of Seventeenth Lok Sabha and assented to by the President since a report was last made to the House on the 21st July, 2023:-

(i) The Cinematograph (Amendment) Bill, 2023;

(ii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2023;

(iii) The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Second Amendment) Bill, 2023;

(iv) The Central Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023;

(v) The Integrated Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2023; and

(vi) The Mediation Bill, 2023. … (*Interruptions*)

I also lay on the Table a copy each, duly authenticated by the Secretary General, Rajya Sabha, of following seventeen Bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President:

(i) The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2023;

(ii) The Multi-State Cooperative Societies (Amendment) Bill, 2023;

(iii) The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023;

(iv) The Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023;

(v) The Offshore Areas Mineral (Development and Regulation) Amendment Bill, 2023;

(vi) The *Jan Vishwas* (Amendment of Provisions) Bill, 2023;

(vii) The Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2023;

(viii) The Registration of Births and Deaths (Amendment) Bill, 2023;

(ix) The National Dental Commission Bill, 2023;

(x) The Digital Personal Data Protection Bill, 2023;

(xi) The Indian Institutes of Management (Amendment) Bill, 2023;

(xii) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2023;

(xiii) The Anusandhan National Research Foundation Bill, 2023;

(xiv) The National Nursing and Midwifery Commission Bill, 2023;

(xv) The Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill, 2023;

(xvi) The Inter-services Organisations (Command, Control and Discipline) Bill, 2023; and

(xvii) The Pharmacy (Amendment) Bill, 2023. … (*Interruptions*)

14.28 hrs

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन, लॉबी, दीर्घाओं का तात्पर्य संसद के भवन से होगा। जिसे भारत के संसद भवन के रूप में नामित किया है, के सभा भवन और लॉबी और दीर्घाओं से है।

माननीय सदस्यगण आज सुबह जहां हम एकत्रित हुए थे, उस बिल्डिंग को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2023 को प्रात: ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.30 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, September 20, 2023/ Bhadra 29, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in
http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business
in Lok Sabha (Sixteenth Edition)